न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

(पीठासीन अधिकारीः—श्री बी0एल0मेहरड़ा, आर0ए0एस0)

अपील संख्याः—186/2010/225 (2010/00001)

1. मंजू देवी पत्नि कालूराम, जाति माली, निवासी देवरा बांसेली, उप—तह0 पुष्कर, जिला अजमेर ।

अपीलांट

बनाम

1. मोहन पुत्र मदन,
2. रामकिशन पुत्र मदन,
3. कैलाश पुत्र मदन,
4. शंकर पुत्र जाला,
5. श्रवण पुत्र जाला,
6. मोहन पुत्र सूरजकरण,
7. पूरण पुत्र सूरजकरण,
   समस्त जाति माली, नि0 देवरा बांसेली, उप.तह. पुष्कर, जिला अजमेर।
8. छोटी बेवा उगमा,
9. काना पुत्र उगमा,
10. प्रेमचंद्र पुत्र उगमा,
11. राधेश्याम पुत्र उगमा नाबालिग जरिये सरंक्षक माता छोटी बेवा उगमा,
12. कान्ता पुत्री उगमा,
13. घेवरी पुत्री उगमा,
14. मंजू पुत्री उगमा,
15. मेती पुत्री उगमा,
16. ममता पुत्री उगमा,
17. लक्ष्मी पुत्री उगमा,
18. मु0 भागूडी बेवा बिरदा,
19. कमला पुत्री बींजा,
20. रूपा पुत्री बींजा,
21. काना पुत्री मंगला,
22. अमरा पुत्र मंगला,
23. लीला पुत्री मंगला,
24. झुम्मी पुत्री सुगना पुत्री दोलतराम,
    समस्त जाति माली, नि0 बांसेली, उप0तह0 पुष्कर, जिला अजमेर ।
25. हनुमान प्रसाद पुत्र लक्ष्मीनारायण सांखला, जाति माली, नि0 पुष्कर, जिला अजमेर ।
26. मंजू देवी पत्नि रामपाल,
27. सावित्री पत्नि दीपचंद गहलो माली,
28. लाडा देवी पत्नि माधु,
29. पन्ना देवी पत्नि ओमप्रकाश,
    समस्त जाति माली, नि0 छोटी बस्ती, उप—तह0 पुष्कर, जिला अजमेर ।
30. बिदाम देवी पत्नि भैरूलाल, जाति माली,
31. बेनी गोपाल पुत्र रामस्वरूप, जाति महाजन,
    समस्त नि0 पुष्कर, जिला अजमेर ।
32. माणकचंद पुत्र अम्बालाल, जाति माली,
33. नन्द किशोर पुत्र अम्बालाल, जाति माली,
34. श्रीमती शांतिदेवी भाटी पत्नि गोपाल भाटी,
35. नोरती देवी पत्नि नारायण लाल, जाति माली,

समस्त नि0 बांसेली, उप–तह0 पुष्कर, जिला अजमेर ।

36. अशोक झामनानी पुत्र रामचंद्र, जाति सिंधी, नि0 सागर विहार कॉलोनी, वैशालीनगर, अजमेर ।
37. सुरेश चंद्र सिंगोदिया पुत्र भंवरलाल, जाति माली, नि0 55/5, शर्मा गेस्ट हाऊस के पीछे, पाराशर कॉलोनी, पुष्कर, जिला अजमेर ।
38. राजस्थान सरकार जरिये नायब तहसीलदार पुष्कर, जिला अजमेर ।

रेस्पोडेंटस

अपील अंतर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध विरूद्ध आदेश विद्वान सहायक कलक्टर (मुख्या0), अजमेर, दिनांक 24.5.2010 अंतर्गत प्रकरण संख्या 171/2008

उपस्थितः–

1. श्री घनश्याम सिंह लखावत, वकील अपीलांट ।
2. श्री शांतिप्रकाश औझा, वकील रेस्पो0 संख्या 3 .
3. श्री शहाबुद्दीन, वकील रेस्पो0 संख्या 4 व 35.
4. रेस्पो0 संख्या 1, 2, 5 से 21, 24 से 26, 28, 30 से 34 अनु0
5. श्री धर्मवीर चौधरी, पैरोकार सरकार रेस्पो0 संख्या 38.

निर्णय

दिनांकः– 29.1.2020

1. यह अपील विद्वान सहायक कलक्टर (मुख्या0), अजमेर के निर्णय दिनांक 24.5.2010 के विरूद्ध इस न्यायालय मे प्रस्तुत हुई है ।
2. संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि रेस्पो0 संख्या 1 व 2/प्रार्थीगण ने अधी0न्याया0 में प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 212 राज0काश्त0अधि0 के तहत अपीलांट एवं शेष रेस्पो0 के विरूद्ध पेश कर निवेदन किया कि ग्राम बांसेली, उप–तहसील पुष्कर स्थित आराजी खाता संख्या 60 में अंकित खसरा नंबर जिनका प्रार्थना पत्र में अंकन किया गया है, की आराजियात तथा सेटलमेंट से पूर्व अंतिम चौसाला जमाबंदी संवत् 2023 से 2026 की जमाबंदी में प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण संख्या 1 से 12 की खतौनी संख्या 54 में अंकित खसरा नंबरान कुल किता 18 कुल रकबा 23 बीघा 12 बिस्वा के प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण संख्या 1 से 12 सहखातेदार दर्ज थे । इस संपूर्ण भूमि में से खसरा नंबर 109 रकबा 19 बिस्वा, खसरा नंबर 110 रकबा 19 बिस्वा, खसरा नंबर 222 रकबा 1–4–00 व खसरा नंबर 966 रकबा 1–9–00 नयी खतौनी संख्या 61 ग्राम बांसेली की भूमि में सभी पक्षकारों का नाम अंकित है । चूंकि प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण संयुक्त हिन्दू परिवार के सदस्य है जिसके कारण अपनी–अपनी आराजी पर मौके पर काबिज काश्त है तथा उनके रहवासी मकान भी है । प्रार्थीगण ने कई बार अप्रार्थीगण संख्या 1 से 5 को खतौनी संख्या 60 में अंकित आराजी बाबत् राजस्व रिकार्ड को दुरूस्त करवाने बाबत् तथा खाता संख्या 61 की संयुक्त खातेदारी भूमि के विभाजन बाबत् कहा तो मना कर दिया जिस पर अप्रार्थीगण संख्या 9 ने वाद प्रस्तुत कर दिया फिर उसने आगे चलकर अप्रार्थीगण से मिलकर

दिनांक 11.9.2008 को वाद विड्रो कर खारिज करवा लिया । अप्रार्थीगण विवादित आराजियात का वर्किंग जमाबंदी में गलत इंद्राज होने के कारण नाजायज फायदा उठाते हुए आराजी को बैचान भी कर दिया है तथा क्रेतागण भूमि की किस्म परिवर्तन करने पर आमादा हो रहे है । अतः अप्रार्थीगण को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा पाबंद किया जावे कि वे खतौनी संख्या 60 व 61 में अंकित विवादित आराजी में प्रार्थीगण के हिस्से की आराजी पर कब्जे काश्त में किसी प्रकार की दखलदांजी न करे । विद्वान अधी0न्याया0 ने अपने आदेश दिनांक 24.5.2010 द्वारा रेस्पो0 संख्या 1 व 2/प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर पूर्व में जारी अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा आदेश दिनांक 3.10.2008 को मूल वाद तक कन्फर्म करने के आदेश पारित किये । अधी0न्याया0 के इस आदेश से असंतुष्ट होकर अपीलांट ने यह अपील इस न्यायालय में पेश की है।

3. अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पो0 को तलब किया गया । रेस्पो0 संख्या 3, 4 व 35 उपस्थित । शेष रेस्पो0 अनुपस्थित । रेस्पो0 । अधी0न्याया0 का रिकार्ड प्राप्त होने के उपरांत प्रकरण में उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस सुनी गई ।

4. पर विद्वान वकील अपीलांट ने बहस में अपीलमीमों में उल्लेखित तथ्यों की ताईद करते हुए कथन किया कि अधी0न्याया0 का आदेश न्याय, नियम एवं रिकार्ड के विपरीत होने से निरस्तनीय है । अधी0न्याया0 द्वारा दोनों पक्षों की बहस सुनने के दो माह से अधिक समय बाद निर्णय पारित किया गया है तथा आदेश दिनांक 24.5.2010 न्यायिक विवेक एवं गरिमा का दुरूपयोग करते हुए पारित किया गया है । धारा 212 राज0काश्त0अधि0 के प्रार्थना पत्र को निस्तारित करने हेतु आवश्यक बिन्दुओं का बिना परीक्षण किये ही अपीलाधीन आदेश पारित करने में विधिक त्रुटि कारित की है । अधी0न्याया0 द्वारा पारित आदेश में न तो अस्थायी निषेधाज्ञा के तीनों बिन्दुओं का विवेचन किया तथा किस प्रकार से अस्थायी निषेधाज्ञा जारी करना विधिपूर्ण है इस बाबत् भी अंकन नहीं किया है जबकि प्रार्थीगण अपना प्रथम दृष्टया प्रकरण ही साबित नहीं कर पाये थे । अधी0न्याया0 ने बिना किसी ठोस निष्कर्ष के सरसरी तौर पर अस्थाई निषेधाज्ञा का आदेश पारित किया है जो विधिविरूद्ध होकर निरस्त किये जाने योग्य है । अधी0न्याया0 ने मात्र संभावना के आधार पर अपीलाधीन आदेश पारित किया है । विद्वान वकील अपीलांट ने बहस को आगे बढाते हुए कथन किया कि अधी0न्याया0 ने सम्पति हस्तातंरण अधि0 की धारा 52 के प्रावधानों को नजरअदांज कर अपीालधीन आदेश पारित किया है जबकि वाद उसी दिन निर्णित माना जायेगा जिस दिन वाद प्रस्तुत किया गया तथा दौराने वाद कोई सम्पति विक्रय हो जाती है तो उससे पूर्व प्रस्तुत किया गया वाद सारहीन होना नहीं माना जा सकता है । प्रार्थीगण/रेस्पो0 संख्या 1 व 2 ने अधी0न्याया0 के समक्ष वाद एवं प्रार्थना पत्र स्वच्छ हाथों से प्रस्तुत नहीं किया था क्योंकि वाद में अंकित अभिवचनों से यह पूर्णतया साबित है कि खसरा संख्या 961, 962, 963, 964, 965 से वादी का कोई संबंध नहीं है इसके बावजूद प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र में खाता संख्या अंकित कर अनुतोष चाहा जिसे अधी0न्याया0 ने स्वीकार कर अपने निर्णय में खाता संख्या बाबत् निषेधाज्ञा पारित करने में त्रुटि कारित की है । वादी/अप्रार्थी ने स्वंय भूमि विक्रय है तथा स्वंय द्वारा किये गये विक्रय के अनुक्रम में क्रेता को पाबंद करने का कोई अधिकार वादी/अप्रार्थी को नहीं था । अधी0न्याया0 ने पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों एवं विधिक सिद्धांतों को नजरअदांज कर अपीलाधीन निर्णय पारित करने में त्रुटि कारित की है । अतः अपील अपीलांट स्वीकार कर अधी0न्याया0 का आदेश निरस्त किया जावे ।

5. विद्वान वकील रेस्पो0 संख्या 3 ने बहस में कथन किया कि विद्वान अधी0न्याया0 का आदेश विधिसम्मत् है । पक्षकारान संयुक्त हिन्दू परिवार

के सदस्य है तथा अपने हिस्से की आराजी पर काबिज काश्त है जिन पर मकान भी बने हुए है । खतोनी संख्या 60 में दर्ज गलत इंद्राज को दुरूस्त करवाने हेतु अनेक बार अपीलांट एवं शेष रेस्पो0 को कहा गया किन्तु वे इंकार हो गये इसी प्रकार खतोनी संख्या 61 की भूमि संयुक्त खातेदारी की भूमियां है जिसके विभाजन हेतु भी कहा गया किन्तु इंकार करने से यह वाद एवं प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करना पड़ा है । अप्रार्थीगण गलत इंद्राज का फायदा उठाकर विवादित आराजियात का बेचान कर दिया है तथा क्रेतागण बिना विभाजन के विवादित आराजियात की किस्म परिवर्तन करने पर आमादा है । यदि वे उक्त कृत्य में सफल हो जाते है तो प्रार्थीगण/रेस्पो0 संख्या 1 व 2 द्वारा वाद एवं प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने का औचित्य ही समाप्त हो जावेगा । वाद के विचाराधीन रहते वादग्रस्त आराजियात की स्थिति यथावत् बनाये रखा जाना आवश्यक होने से अधी0न्याया0 ने प्रार्थना पत्र स्वीकार कर अपीलांट एवं शेष रेस्पो0 को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया है जो विधिसम्मत् आदेश है । अतः अपील अपीलांट निरस्त की जावे ।

6. हमनें उभयपक्ष बहस पर मनन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन किया । पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि रेस्पो0 संख्या 1 व 2/प्रार्थीगण ने अधी0न्याया0 में विवादित आराजियात बाबत् वाद के साथ प्रार्थना पत्र धारा 212 राज0काश्त0अधि0 1955 के तहत पेश किया जिस पर अधी0न्याया0 ने दिनांक 3.10.2008 को प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर प्रकरण में प्रार्थीगण/रेस्पो0 का प्रथमदृष्टया प्रकरण मानकर तथा अपूर्णीय क्षति होने की संभावना मानते हुए अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा जारी कर अपीलांटस को इस अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया था कि अपीलांटस विवादित आराजियात खतौनी संख्या 60 व 61 की आराजी के मौके एवं राजस्व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखे । तत्पश्चात् अधी0न्याया0 के समक्ष प्रतिवादीगण संख्या 3 व 10 ने जरिये अभिभाषक उपस्थित होकर जवाब हेतु समय चाहा । अधी0न्याया0 की आदेशिका दिनांक 5.10.2009 के अनुसार प्रतिवादी संख्या 1 से 7 बावजूद सूचना के अधी0न्याया0 में अनुपस्थित रहे जिससे इनके विरूद्धएकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई है । इसके पश्चात् पत्रावली शेष प्रतिवादीगण की तलबी में चलती रही । अधी0न्याया0 की आदेशिका दिनांक 5.3.2010 के अनुसार प्रतिवादी संख्या 1, 2, 4, 6, 8, 3, 17, 18, 13, 14, 19, 20/1, 20/2, 24 एवं 10/8 के अभिभाषक न्यायालय में उपस्थित हुए तथा जवाब हेतु समय चाहा तथा अप्रार्थी संख्या 5, 11, 12, 15, 16, 22, 23 बावजूद नोटिस अखबार साया के कोई उपस्थित नहीं हुए जिससे इनके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही की गई है । तत्पश्चात् अप्रार्थीगण संख्या 1, 2, 4, 6, 7, 19, 20/1 एवं 24 की ओर से अधी0न्याया0 में उपस्थित होकर जवाब पेश किया जिसमें प्रार्थीगण/वादीगण के प्रार्थना पत्र के कथनों से इंकार कर प्रार्थना पत्र खारिज करने का कथन किया है । इसलिये अपीलांट का यह कथन उचित नहीं है कि उन्हें अधी0न्याया0 में साक्ष्य एवं सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान नहीं किया गया है । पत्रावली के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि विवादित भूमियां पक्षकारान की सह खातेदारी की होकर अविभाजित आराजियात है यदि वाद के निस्तारण से पूर्व विवादित आराजियात का अप्रार्थीगण द्वारा किसी अन्य को बेचान कर दिया जाता है तो रेस्पो0/प्रार्थी द्वारा वाद एवं प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने का औचित्य ही समाप्त हो जावेगा । अधी0न्याया0 ने वाद के निस्तारण तक विवादित भूमि को अन्यत्र रहन, बय, मुंतकिल न करने तथा राजस्व रिकार्ड में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं करने बाबत् अपीलांट एवं अन्य अप्रार्थीगण को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया है । अधी0न्याया0 का यह आदेश विधिसम्मत् है जिसमें हमें कोई विधिक एवं तथ्यात्मक त्रुटि प्रकट नहीं

होती है । उपरोक्त विवेचनानुसार अपील अपीलांट खारिज योग्य तथा अधी0न्याया0 द्वारा पारित आदेश यथावत् रखे जाने योग्य पाया जाता है।

7. अतः अपील अपीलांट खारिज की जाती है । विद्वान सहायक कलक्टर (मुख्या0) अजमेर द्वारा पारित आदेश दिनांक 24.5.2010 यथावत् रखा जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो।

(बी0एल0मेहरड़ा)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर

8. निर्णय आज दिनांक 29.1.2020 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया ।

(बी0एल0मेहरड़ा)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर